भविष्यवाणी एवं खिचकर्म अनुभाग

लखनऊ, दिनांक-31 दिसंबर, 2019

विषय: निजी भूमि के स्वामियों को उनकी भूमि से सम्बन्धित उपखलिनों के खनन हेतु खनन अनुमा-प्रव खनन पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर श्री अंबित कुमार नायक, आई.ओ.एफ.एस., संयुक्त सचिव, खान संस्थापत्य, बहार सरकार, नई दिल्ली के अर्थशास्त्रीय पत्र संख्या-16/64/2019-M.VI, दिनांक 17.12.2019 (छायापत्र संलग्न) तथा शासनादेश संख्या-2025/86-2019-57(सा)/2017, दिनांक 30.08.2019 व संस्थापनदेश संख्या-2026/86-2019-57(सा)/2017, दिनांक 30.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पत्र दिनांक 17.12.2019 में निजी भूमि के स्वामियों को उनकी भूमि से सम्बन्धित उपखलिनों के सम्बन्ध में खनन अनुमा-प्रव खनन पट्टे प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश की उपखलिन नियमावली में वास्तविक संशोधन किए जाने की अपेक्षा की गयी हो तथा प्रशस्तगत खनन अनुमा-प्रव खनन पट्टे दिये जाने को स्थानीय रोजगार, खलिन की उपलब्धता व राजस्व प्राप्ति में वृद्धि आदि की दृष्टि से उपयोगी बताया गया है। अवश्य निर्देश करना है कि उक्त प्रदेश उपखलिन परिवार नियमावली, 1963 में अधिसूचना दिनांक 13.08.2019 द्वारा किए गए 47वें संशोधन के माध्यम से आश्वस्त प्रविधियाँ पहले ही किए जा चुके हैं। उक्त के अनुपालन हेतु शासनादेश संख्या-2025/86-2019-57(सा)/2017, दिनांक 30.08.2019 द्वारा निजी भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्वस्थानों चटान के खलिन के उपलब्ध व शासनादेश संख्या-2026/86-2019-57(सा)/2017, दिनांक 30.08.2019 द्वारा नदी तल स्थित निजी भूमि में मित्रता अवधा अवधा उपलब्ध उपखलिन बाहु/मॉर्स/बोर्डर के रिक्त क्षेत्रों को ई-निविदा प्राप्ति के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के संबन्ध में प्रकरणयोजना द्वारा निर्देश समस्त लितार्थकों को निर्देश दिए गये है।

3. अतः उक्तानुसार निजी भूमि के स्वामियों को उनकी भूमि से सम्बन्धित उपखलिनों के सम्बन्ध में खनन पट्टे प्रदान किए जाने हेतु प्रशस्तगत कार्य करने का समय में संयोजन-यथोरुप।

भविष्यवाणी,
(वीणा कुमारे)
प्रमुख सचिव।

संख्या 06.जी/आई0 (1)/86-2019, दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव, खान संस्थापत्य, बहार सरकार, नई दिल्ली, 325, `ए' विंग, शाक्तिभवन, नई दिल्ली-110001 को उनके पत्र दिनांक 17.12.2019 के सन्दर्भ में प्रशस्तगत कृत नियमावली संशोधन व निर्देश शासनादेश दिनांक 30.08.2019 की छायापत्र सहित सूचनार्थ प्रसिद्ध। संग्रहण-यथोरुप।

भविष्यवाणी,
(हेदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।
Dear Smt. Veena Kumari Meena,

I would like to draw your attention to the vision of Hon’ble Prime Minister for achieving the infrastructure targets in Energy and Mining Sector. Following the Hon’ble Prime Minister’s vision, the Ministry of Mines is taking continuous efforts to conceptualize the reforms in mining sector.

2. To allow minor mineral license for landowners is also one of the ideas which can bring reforms in mining sector as this not only helps to provide employment to the local community but also helps to expedite the grant of minor mineral lease, given that minor minerals are found in small piece of land and the land vests with the private land owners in most of the State Governments.

3. Needless to say that the Section 15 of the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 devolves the responsibility of administering and regulating minor minerals upon the State Government. Secondly, ‘land’ is a subject matter that comes under the State List of the Constitution including ‘rights in and over land’ in item 18.

Since the States are empowered to take all necessary action with respect to minor mineral, I would like to request you to make necessary provisions in your State Minor Mineral Concession Rules to allow minor mineral license for landowners so that the above target of reforms in mining sector may be achieved.

5. I would also like to request if the same is already incorporated in your minor mineral concesion rules, let the Ministry of Mines be informed.

A line in agreement with the above proposal will be highly appreciated.

With regards

Yours sincerely,

(Anil Kumar Nayak)

Smt. Veena Kumari Meena  
Principal Secretary  
Department of Mines & Geology,  
Govt. of Uttar Pradesh,  
9, Bahukhandi Bhawan, Sectt.  
Lucknow-226001.